

कार्यालय: महानिदेशक राज्य परिवहन हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में,

**२१८८** महाप्रबन्धक,  
हरियाणा राज्य परिवहन,

क्रमांक ५५८०-५६०८०टी०आई-३

दिनांक ३१-१-२०१४

Subject:- Regarding bad attitude and misbehaviour of Bus Driver and conductors.

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5098-5109, 5114-5124 /टी०आई०-१ दिनांक 03.12.2013 को पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि मार्ग पर कार्य निर्वाह के दौरान मार्ग पर पड़ने वाले सभी निर्धारित बस ठहराव पर बसें रोककर यात्रियों को उतारने व चढ़ाना सुनिश्चित किया जाए। लेकिन नमस्ते चौंक, से आई०टी०आई०, करनाल के मध्य पड़ने वाले बस ठहराव पर अभी भी बस चालक अपनी बस को निर्धारित रस ठहराव पर न रोककर आगे पिछे रोकते हैं, जिससे बस ठहराव पर खड़े यात्री बस में खड़े होने वाले रह जाते हैं। जिससे उन्हें काफी आघात होता है। शिकायत की छायाप्रति सम्बन्धित निर्वाह करने वाले सभी चालक/परिचालकों को पुनः निर्देश जारी करें कि मार्ग के प्रत्येक निर्धारित बस ठहराव के निर्धारित स्थान पर ही बसे रोककर यात्रियों को चढ़ाएं व उतारें तथा नमस्ते चौंक, करनाल पर रखे गए रजिस्ट्रर में बस चालक को अपने हस्ताक्षर अंकित करने वारे भी निर्देश जारी करें। उल्लंघन करने वाले चालक/परिचालक के विरुद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही करना भी सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त करनाल महाप्रबन्धक को निर्देश दिए जाते हैं कि करनाल नमस्ते चौंक पर कुछ समय के लिए एक निरीक्षक/उप-निरीक्षक को तैनात करके बस सेवा के चालक से रजिस्ट्रर में अपनी बस संख्या का नम्बर व अपने हस्ताक्षर अंकित करवाने वारे सुनिश्चित करें। यदि फिर भी किसी आगार की बस सेवा का चालक अपनी बस को नमस्ते चौंक पर रोके बिना चला जाए तो उसके विरुद्ध लिखित रिपोर्ट सम्बन्धित महाप्रबन्धक व इस कार्यालय को प्रेषित करें।

कृते: महानिदेशक राज्य परिवहन  
हरियाणा, चण्डीगढ़